संख्या : 1497 / शि0का0लख0 / 2002

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 22.7.2001

विषय : कैम्प लगाकर लम्बित पड़े अनिबन्धित प्रलेखों की रजिस्ट्री कराने के संबंध में।

महोदय,

मुख्य सचिव महोदय ने वाराणसी, गोरखपुर एवं मेरठ की जोनल बैठकों में विभिन्न संस्थाओं जैसे विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, औद्योगिक विकास परिषद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नगर निगम, नगरपालिकाओं एवं मण्डी परिषद आदि में भारी संख्या में लम्बित पड़े अनिबन्धित प्रलेखों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है और समस्त संबंधित को इस आशय के कठोर निर्देश दिये गये हैं कि आगामी माहों में विशेष कैम्प का आयोजन कर शत–प्रतिशत अनिबन्धित प्रलेखों की रजिस्ट्रियाँ कराई जायं। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एक ओर जहाँ अनिबन्धित प्रलेखों से नियमों का उल्लखंन होता है और राजस्व आय में घाटा होता है वहीं दूसरी ओर जनसाधारण को भारी परेशानी होती है और राजस्व आय में घाटा होता है वहीं दूसरी ओर जनसाधारण को भारी परेशानी होती है इसलिए यह आवश्यक है कि उक्त उद्देश्यों की पूर्ति एक अभियान के रूप में की जाय ताकि राजस्व की वृद्धि हो और जनसाधारण को भी राहत मिल सके।

2– प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास परिषद, नगर निकायों, मंडी परिषद आदि में भारी संख्या में अनिबन्धित प्रलेख पड़े हुए हैं। इनमें अच्छी खासी संख्या ऐसे प्रकरणों की है जिनमें आवण्टी पूरा पैसा जमा भी कर चुका है फिर भी उसकी सम्पत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई है। ऐसे प्रकरणों में बिना किसी विलम्ब के शत–प्रतिशत रजिस्ट्री करने में किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं है। दूसरी कोटि में ऐसे प्रकरण आते हैं जिनमें हायर परचेज के माध्यम से सम्पत्ति आवंटित की गयी है और यह संज्ञान में आया है कि अधिकांश मामलों में किश्त जमा करने की अवधियाँ काफी पूर्व ही समाप्त हो गयी हैं। ऐसे मामलों में आवण्टी पर मूल अथवा ब्याज का बकाया लम्बित होना बताया जा रहा है। इन प्रकरणों की संख्या भी काफी अधिक है। इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु उक्त संस्थाओं को वन टाइम सेटलमेंट जैसी व्यवस्था अपनानी होगी ताकि आवण्टी की धन अदायगी के प्रकरण सुलझने के साथ रजिस्ट्री भी हो जाय।

3. आवास सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या : 2757/9–आ–1–02–57 डीए/02 दिनांक 6.7.02 द्वारा इस आशय के स्पष्ट निर्देश समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को दिये हैं कि जब तक विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों के विलेख निष्पादित

न हो जाय तब तक भूमि/भवन का कब्जा आवण्टी को न दिया जाय। अग्रेतर यह भी निर्देश दिया गया है कि वर्ष 1998 से पूर्व विक्रय की गयी सम्पत्तियों के कब्जे बिना पंजीकृत विलेख निष्पादित कराये ही दिये गये हैं, उनके पंजीयन हेतु समयबद्ध रूप से कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से भी अपेक्षा है कि वे अपने स्तर से प्रभावी आदेश जारी कर उपरोक्तानुसार अनिबन्धित प्रलेखों की रजिस्ट्रियाँ कराने के निर्देश सभी संबंधित को दें।

4. उक्तानुसार कैम्प लगाये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैं।

- यथासंभव ये कैम्प शनिवार या रविवार को आयोजित किया जाय। इन दिवसों में रजिस्ट्री हेतु विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।
- जिलाधिकारी के दिशा–निर्देशन में कैम्प का आयोजन होगा।
- कैम्प स्थल की समुचित व्यवस्था (जैसे स्थल, कनात, टेबल,कुर्सी, बिजली–पानी, कर्मी आदि) प्रलेख निष्पादित करने वाली संस्थाओं द्वारा की जायेगी।
- स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के जनपदीय उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा कैम्प स्थल पर उपनिबन्धकों, सहायकों, स्टाम्प वेन्डरों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी व वे सम्बन्धित संस्था के साथ समन्वय कर कैम्प का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
- लेखपत्र निष्पादित करने वाले विभागों व निबन्धन विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण कैम्प की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
- जिलाधिकारी द्वारा कैम्प में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
- इन कैम्पों के आयोजन का वृहद प्रचार–प्रचार किया जाएगा और लेखपत्र निष्पादित करने वाले विभाग कैम्प
- पूर्व रजिस्ट्री सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं जैसे लेखपत्र तैयार कराना आदि कार्यवाही युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूर्ण कर लेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक कैम्प में कम से कम 100 रजिस्ट्रियाँ अवश्य हों ताकि इसका अच्छा संदेश जाये।
- जिलाधिकारी अपने जनपद में सम्बन्धित विभागों से विचार–विमर्श कर कैम्प आयोजन का एक कैलेन्डर बना लेंगे जो संस्थावार होंगे व शत–प्रतिशत रजिस्ट्री कराने के उद्देश्य के दृष्टिगत अनवरत् रूप से चलाए जाएंगे।

तत्क्रम में यह अनुरोध है कि आप अपने जनपद में समस्त सम्बन्धित विभागों/अधिकारियों के साथ समन्वय कर युद्ध स्तर पर विशेष अभियान की रूप–रेखा व रणनीति बनाते हुए प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को समय–समय पर शिविर कार्यालय के निम्न पते/फैक्स नम्बर पर सूचित करने का कष्ट करें ताकि प्रगति की जानकारी शासन व मुख्य सचिव महोदय को उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय

प्रभास कुमार झा

संख्याः 1497(1–17)/शि0का0लख0/2002

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कर एवं निबन्ध्यान, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर–प्रदेश शासन लखनऊ।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर मा0 मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा / ग्रेटर नोएडा।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कानपुर।
10. आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
11. निदेशक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
12. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
15. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर–प्रदेश।
16. अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशासन/प0 क्षेत्र) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
17. मुख्यालय/शिविर कार्यालय लखनऊ की गार्ड फाइल पर चस्पा करने हेतु।

प्रभास कुमार झा
महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प।
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।